Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

29 सितम्बर 2018
नई दिल्ली

इस्लाम में मस्जिद के महत्व पर फैसलाः पॉपुलर फ्रंट की मुसलमानों की आशंकाओं को दूर करने की मांग

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सचिवालय की कालीकट में आयोजित बैठक ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर कड़ी आपत्ती जताई है, जिसमें कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1994 के इस फैसले को बरक़रार रखा है कि मस्जिद इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है और नमाज़ कहीं और भी पढ़ी जा सकती है। बैठक ने इस मामले को संवैधानिक बेंच के हवाले करने से संप्रीम कोर्ट के इनकार को दुर्भाग्य की बात कहा है।

ऐसा लगता है जैसे उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले के दूरगामी परिणाम पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। इस्लाम में मस्जिद का महत्व इस हक़ीक़त से बिल्कुल साफ हो जाता है कि मुसलमानों को दिन में पाँच बार और गुरूवार के दिन जुमा की नमाज़ मस्जिद में एक साथ पढ़ने का आदेश दिया गया है। बैठक ने कहा कि इस्लाम, ईसाईयत या हिंदूमत किसी भी धर्म में इबादतगाह के महत्व पर कोई राय देना या फैसला सुनाना भारत जैसे देश की सेक्युलर न्यायिक व्यवस्था के अधिकारक्षेत्र में नहीं आता।

इस सिलसिले में और ज़्यादा स्पष्टीकरण की ज़रूरत है कि इस फैसले से बाबरी मस्जिद मामले पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इस पर दी गई याचिका असल में बाबरी मस्जिद से ही ताल्लुक रखती है और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल की संभावना अब भी बाक़ी है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देकर राम मंदिर निर्माण का ऐलान करने वाली हिंदुत्व ताकतों ने पहले ही इस फैसले को अपनी जीत के तौर पर मनाना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने अपने पास मौजूद एक राष्ट्रीय महत्व रखने वाले मामले के राजनैतिक उपयोग से इन ताकतों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस लिए पॉपुलर फ्रंट सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और इस मामले में मुस्लिम समुदाय की आशंकाओं को दूर करने की अपील करता है।

बैठक ने आधार को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है। पॉपुलर फ्रंट का मानना है कि आधार सरकार का बहुत बड़ा हथियार है जो कि नागरिकों की आज़ादी और प्राईवेसी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन बैठक ने आधार एक्ट की दफा 57 को ख़त्म करने और निजी कंपनियों और बैंकों को अपनी सेवाएं देने के लिए आधार को ज़रूरी ठेहराने से मना करने के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर कोर्ट यह नहीं समझ पाई है कि किस तरह से नागरिकों के अधिकारों और सरकारी योजनाओं और सेवाओं को एक कार्ड से जोड़ना नागरिकों के खिलाफ सरकार के हाथों में एक दोधारी तलवार का काम करता है।

केंद्रीय सचिवालय का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्यगमन (एडल्टरी) को जायज़ क़रार दिये जाने से एक तरफ जहाँ शादी की पवित्रता को चोट पहुँचेगी वहीं दूसरी ओर पारिवारिक मूल्य भी कमज़ोर हो जाएंगे। यह बड़े दुख की बात है कि फैसले में इस बात का ख़्याल नहीं किया गया कि अन्यगमन करने वाले लोग अपने पार्टनर और बच्चों के लिए मुसीबत का सामान बन सकते हैं।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ओ.एम.ए. सलाम, ई.एम. अब्दुर्रहमान, के.एम. शरीफ और अब्दुल वाहिद सेठ उपस्थित रहे।

डॉ० मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली